



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14 (310) Acad. II/ MDSU/2025/ 8940-42

Dated 19-3-25
REGISTERED

The Principal,
Sandesh College,
Deh Road, Amarpura,
Nagaur- 341001

Subject:- **Extension in provisional affiliation.**

Dear Sir,

With reference to your application for the purpose mentioned on the subject cited above, I am directed to inform you that on the recommendations of the Affiliation Committee and as per orders of the Hon'ble Vice-Chancellor, the Registrar has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the subject(s) mentioned below for the academic session as mentioned against each subject to fulfillment of the conditions mentioned overleaf during the aforesaid period:-

Class	Subject(s)	Session	Seats
B.A.	(History, Pol. Sc., Sociology, Hindi Litt., Geography, Urdu, Computer App. & Compulsory Papers)	2024-2025	80
B.C.A.		2024-2025	60
B.Sc.	(Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics and Compulsory papers)	2024-2025	140

नोट: महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक: 2462 दि. 22.01.25 के क्रम में आर्थिक दण्ड राशि रु. 59,000/-जीएसटी सहित रसीद सं. 0002405 दि. 06.03.25 द्वारा वि.वि. कोष में जमा कराये जाने एवं महाविद्यालय के विरुद्ध कोई आर्थिक दण्ड/शुल्क भी देय/बकाया रहा हो तो महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने तथा विश्वविद्यालय पत्रांक 2462 दि. 22.01.25 में दर्शाई गई कमियों की पूर्ति कर मय दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की गई है अन्यथा आगामी सत्र में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/fresh/permanent affiliation for the session 2025-2026 along with the necessary fee as prescribed may be sent through proper channel (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2024. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,


Dy. Registrar (Acad.II)

The Provisional affiliation is subject to the following conditions:

- I To follow and observe the norms of BCI and University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed, amended, adopted and issued from time to time relating to:-
 - (a) Admission of only eligible students will be made.
 - (b) To follow curricular courses of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations.
 - (c) Appointment of Teaching/Sports/Library Staff within stipulated period.
 - II (i) Staff- Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on full time basis selected by duly constituted committees and appointment will be got approved from the University.
(ii) Building - Construction of sufficient building as per guide lines of the University provisions, play grounds and hostel building.
 - III Library- Year wise development of college Library and provision of funds for journals and magazine be made. Year wise bifurcation of books purchased-details be submitted.
 - IV Endowment Fund- Sufficient endowment fund as prescribed in rules be created & University will be supplied a copy F.D.R. etc. in the name of Registrar & Management Committee.
 - V (a) Number of admission will be restricted to the number of seats allotted by the University. No admission over and above the number of seats allotted will be made.
(b) No admissions may be given in the subject(s)/course(s) without obtaining the affiliation in the subject(s)/course(s) concerned.
- Non compliance will entail severe action against the college as per the letter No. 31170-313 dated 23-02-2006 and responsibility for the same will be with the College Administration.**
- VI. No affiliated institution shall be allowed to discontinue the study of any Subject/Faculty without prior permission of the University. An application for such permission shall be made to the Registrar by the Head of the institution duly forwarded by the Management at least one full academic year in advance, giving reasons in support of the proposal.
 - VII. Every college not maintained by the Government shall satisfy the Board that adequate financial provision is available for its efficient maintenance. If at any time the governing body of a College be unable to run the College, it shall inform the Board at least one full academic year in advance and shall give a notice of similar duration, viz., one full academic year to the employees of the institution for termination of their services: Provided that the closure of an Institution shall be in gradual stages in respect of each course of study for which it is affiliated, starting from the first year of the course.



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14() Acad.II/MDSU/2025/ 8367

Dated:-/5-3-25

**The Principal,
Sandesh College,
Deh Road, Amarpura,
Nagaur. (Rajasthan) 341001**

Sub.: Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above, I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

Course	Session	Seats
04 Year B.A. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50 (One Unit)
04 Year B.Sc. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50 (One Unit)

नोट:- महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 04 वर्षीय बी.ए. की.एड./बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम की उपरोक्तानुसार अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 14815 दिनांक 03.06.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 00001811 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रु. 2,36,000/- (अक्षरे रु. दो लाख छत्तीस हजार) मात्र मय जीएसटी राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को निजवाना अनिवार्य है, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

सत्र 2018-19:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मापदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय ने अक्षय निधि राशि रु. 5,00,000/- सावधि जमा की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. महाविद्यालय सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2019-20:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मापदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय ने अक्षय निधि राशि रु. 5,00,000/- सावधि जमा की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।



4. महाविद्यालय सत्र 2019-20 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2020-21:-


1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मापदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय ने अक्षय निधि राशि रु. 5,00,000/- सावधि जमा की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बावत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. महाविद्यालय सत्र 2020-21 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2021-22:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मापदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय ने अक्षय निधि राशि रु. 5,00,000/- सावधि जमा की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है, प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बावत् महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. महाविद्यालय सत्र 2021-22 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

The application for the extension in provisional affiliation for the session 2022-23 along with required fee may be sent together with a report about the fulfillment of the conditions of the provisional affiliation up to 31st Dec. 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,


Dy. Registrar (Acad-II)